यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) के 10/2016 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.03.2019 से 13.03.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग–प्रथम

1. परिचयात्मक–इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री शंकर सिंह दरियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दिलीप कुमार मट्टू,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पारस शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनाँक 13/10/2016 से 20/10/2016 तक सम्पन्न की गयी थी, जिसमे 08/2013से 09/2016 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह10/2016 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र–ऊधमसिंह नगर

(ii)(अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत(–)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015–16	-	-	146.73	146.25	28.28	27.82		0.94
2016–17	-	-	185.00	157.30	26.78	26.19		28.29
2017–18	-	-	193.31	192.54	28.91	28.69		0.99
2018-19 (2/ 2019 तक)	-	-	241.21	224.98	40.73	35.33		21.63

(ब)Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	प्राप्त	व्ययआधिक्य(+)	बचत(–)
.....शून्य.....					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
प्रधान सहायक
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी**, **रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)** की लेखापरीक्षा में लेन–देन कम अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी**, **रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/17, एवं 10/16 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो-'ब'

प्रस्तर 1 : समय सीमा व्यतीत होने के उपरांत भी निर्माण कार्य का पूर्ण न होना ₹ 50.00 लाख।

कार्यालय में निर्माण कार्यों से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि पशु चिकित्सालय परिसर काशीपुर एवं शूकर प्रजनन प्रक्षेत्र काशीपुर की चारदिवारी का निर्माण कार्य 7/2016 में शासनादेश संख्या 3152/13.10.2015, 3114/25.01.2016 जिला योजना के अंतर्गत ₹ 50.00 लाख की धनराशि पर स्वीकृत किया गया था। उक्त कार्य की समाप्ति तिथि 7/2017 थी। किन्तु समय सीमा व्यतीत होने के उपरांत भी उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। वर्तमान में कार्य हेतु कुल ₹ 25.73 लाख उपलब्ध कराये गए थे।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु जिला योजना के अंतर्गत पूर्ण धनराशि प्रस्तावित की जाती है किन्तु आवंटन/अनुमोदन में कमी होने के कारण वित्तीय वर्ष 18-19 में कार्य पूर्ण न हो पाया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला योजना में अवशेष पूर्ण धनराशि प्रस्तावित कर कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह कार्यालय का दायित्व था कि वह समय से आवश्यक पत्राचार कर कार्य को पूर्ण करवाता। किन्तु शिथिलता के कारण समय से कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो-'ब'

प्रस्तर 2 : विभिन्न योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न किया जाना।

निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा उत्तराखंड के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में प्रमुख पशु चिकित्साधिकारी कार्यालयों हेतु योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। कार्यालयों से अपेक्षा रहती है कि वे इन लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु यथासंभव प्रयास करें।

कार्यालय की योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति नहीं की जा सकी:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति लक्ष्य प्रतिशत
1	2017-18	Castration	15000	14096	93.97
2	2017-18	Vaccination	500000	440702	88.14
3	2017-18	Animals benefitted	16500	12663	76.75
4	2017-18	AI done for cow	60500	46944	77.59
5	2017-18	AI done for buffalo	26000	22229	85.50
6	2017-18	Progeny born-cow	26600	24997	93.97
7	2017-18	AI done for buffalo	35400	21902	61.87
8	2017-18	Progeny born-cow	34275	21263	62.04
9	2017-18	Progeny born-buffalo	11425	9911	86.75
10	2018-19	Treatment	574000	506351	88.21
11	2018-19	Castration	15000	13137	87.58
12	2018-19	Infertility camps	170	151	88.82
13	2018-19	Animals benefitted	17500	12901	73.72
14	2018-19	AI done for buffalo	34400	18475	53.71
15	2018-19	Dipping (sheep and goat)	20200	14467	71.62
16	2018-19	No. of poultry units established	490	225	45.92
17	2018-19	Distribution of chicks	585000	472570	80.78

उपरोक्त के इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जनपद में पशुचिकित्सालय एवं पशुसेवा केंद्र रिक्त होने के कारण शतप्रतिशत प्राप्ति नहीं की जा सकी। संबन्धित पदों को भरने संबन्धित कार्यवाही विभगाध्यक्ष स्तर से की जाती है। प्रत्येक माह रिक्त पदों की सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जाती है।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

अतः विभिन्न योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: GVR की कटौती न किया जाना ₹11800 ।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या: 710/दस-स.वि-नित-2-97, दिनांक 21 मई, 1999 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हे वाहन आवंटित है, को 200 km प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष मे प्रतिमाह प्रतिवाहन के आधार पर कार के लिए ₹ 500 तथा जीप के लिए ₹ 400 जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था एवं उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 84/xxvii(7)50(06)/2017 दिनांक 7/6/2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अंतर्गत राजकीय कोष मे जमा किए जाने वाले प्रतिमाह प्रतिवाहन की वर्तमान राशि मे वृद्धि करते हुए 1/5/2017 से प्रत्येक वाहन हेतु ₹ 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गई।

इस संबंध मे वेतन बिल पंजिका की जांच में पाया गया कि श्रीपी. सी. कांडपाल, वेटेनरी ऑफिसर के वेतन से राजकीय वाहन कटौती माह 09/2017 से 07/2018 कुल 11 माह की ₹1600*11=₹17600 कटौती की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी। अतः इस प्रकार ₹17600 कम की वसूली की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
73/2016-17	-	1,2,3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
73/2016-17	1,2,3 (भाग दो ब) 1 (STAN)	अनुपालन आख्या महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है। उत्तर प्रतीक्षित है।	लेखापरीक्षा कार्यालय से उत्तर आने तक प्रस्तर यथावत रखे जाते हैं।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोतमकार्यः–शून्य

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय,मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–शून्य

2. सतत् अनियमिततायेंः–शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	डा. रवीद्र चन्द्र	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	15.10.13	19.7.17
2.	डा. गोपाल सिंह धामी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	20.7.17	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय,मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2,कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II